

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर ग्वालियर जिले के अन्तर्गत वनमण्डल ग्वालियर में मालनपुर 220 एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 1.5684 हेक्टेयर वनभूमि एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्टर, एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज-11 लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 15.07.2022

स्थान: भोपाल

१५/७/२२

(अशोक कुमार)

अपर सचिव

म.प्र. शासन
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)